



## झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

(भारतीय संसद के अधिनियम 2009 द्वारा स्थापित) (Established by an Act of Parliament of India in 2009)

No.: CUJ/झाकेवि/रा.प्र./वा.प्रति./2024-25/01/.6.4.5. Date: 06.06.2025

### कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

परिपत्र संख्या झाकेवि/रा.प्र./वा.प्रति./2024-25/01/582 दिनांकित 01.05.2025 के संदर्भ में, जो कि वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 से संबंधित डेटा के प्रेषण के विषय में है, यह अवगत कराया जाता है कि अनेक अनुस्मारकों के बावजूद अभी तक राजभाषा प्रकोष्ठ को आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 के प्रारूपण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। यह प्रतिवेदन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को संसद में प्रस्तुत किए जाने हेतु भेजा जाना है।

With reference to the Circular no. झाकेवि/रा.प्र./वा.प्रति./2024-25/01/582 dated 01.05.2025 regarding submission of the data related to **Annual Report**, **2024-25**, it is noted that despite several reminders information hasn't been received by Rajbhasha Prakoshth till date which is resulting in undue delay in preparation of the Annual Report 20242-25 for onward submission to the Ministry of Education for laying before the Parliament of India.

जानकारी प्राप्त होने में देरी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा गम्भीरता से लिया गया है, और यदि संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक जानकारी दिनांक 16 जून, 2025 तक प्रेषित नहीं की जाती है, तो संबंधित संकाय सदस्य/ अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यह भी, अवगत कराया जाता है कि अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट, माननीय कुलपित महोदय को दिनांक 18.06.2025 तक प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

The delay has been viewed seriously by the competent authority and necessary action will be initiated against faculty/officers, if the required information is not submitted by the concerned department by 16<sup>th</sup> June, 2025. Further it may be noted that the status update has to be reported to the Hon'ble Vice Chancellor by 18.06.2025.

अतः सभी संबंधित विभागों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सभी आवश्यक जानकारियाँ/डेटा दिनांक 16.06.2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 समय पर तैयार किया जा सके।

Hence, all concerned are once again requested to provide all the information/data, as mentioned above, by 16.06.2025 for the timely compilation of the Annual Report 2024-25.

उप- कुलसचिव-II/Deputy Registrar-II





# झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

#### CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

(भारतीय संसद के अधिनियम 2009 द्वारा स्थापित) (Established by an Act of Parliament of India in 2009)

#### वितरण/Distribution:

- 1. परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष/ CoE, Finance Officer, Librarian
- 2. निदेशक-आईक्यूएसी/डीनशैक्षणिक/डीन-अनुसंधान एवं विकास/ Director-IQAC / Dean-Acad. Affairs / Dean-R&D
- 3. सभी विभागाध्यक्षा/विभागों के समन्वयक/ All Heads/Coordinators of Departments
- 4. डीएसडब्ल्यू/सीपीबी/चेयरमैन-नामांकन प्रकोष्ठ, नियोजन प्रकोष्ठ/ DSW/ CPB / Chairman-Admission Cell, Placement Cell
- 5. पीआईसी ट्रांसपोर्ट, पीआईसी खरीद, पीआईसी टेक्निकल प्रकोष्ठ/ PIC Transport, PIC Purchase, PIC Tech. Cell
- 6. सभी उप-कुलसचिव, कार्यपालक अभियंता प्रभारी, स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी/ Dy. Registrars, Executive Engg. I/c, Health Centre I/c
- 7. एन एस एस समन्वयक, एन सी सी समन्वयक, समन्वयक- उन्नयन,खेलकूद प्रभारी/ NSS Coordinator, NCC Coordinator, Coordinator- Unnayan, Sports I/c
- 8. सहायक कुलसचिव (अ.जा/अ.ज.जा प्रकोष्ठ), जन संपर्क अधिकारी प्रभारी/ Asst. Registrar (SC/ST Cell), PRO I/c

## सूचना हेतु प्रति/Copy for information to:

- 1. सभी स्कूलों के डीन/ All Deans of Schools
- 2. तकनीकी प्रकोष्ठ प्रभारी-विश्वविद्यालय की वेबसाइट हेतु/ Technical Cell I/c for University Website
- 3. कुलपति/कुलसंचिव/वित्त अधिकारी के निजी सचिव/ PS to Vice Chancellor, PS to Registrar & PS to Finance Officer
- 4. सूचनापट्ट, संदर्भित फाइल एवं गार्ड फाइल/ Notice Board, Concerned File & Guard File